न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवनीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 34 / 2023 अन्तर्गत धारा 88,40,188,207,209 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
रेखाकंवर पुत्री शक्तिदान पत्नी जेठुदान जाति चारण, निवासी धोलिया तहसील शिव, जिला बाड़मेर हाल निवासी कोडा तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर		1. जीवणदान पुत्र शक्तिदान 2. अर्जुनदान पुत्र शक्तिदान 3. लूणदान पुत्र हेमदान 4. गोविन्ददान पुत्र हेमदान 5. बुधदान पुत्र हेमदान 6. राजुदान पुत्र हेमदान 7. किशन कंवर पत्नी हेमदान जाति चारण, निवासी धोलिया तहसील शिव, जिला बाड़मेर 8. भीखकंवर पुत्री शक्तिदान पत्नी बाबुदान जाति चारण, निवासी भीखोड़ाई तहसील फलसुण्ड, जिला जैसलमेर 9. केली कंवर पुत्री शक्तिदान पत्नी भंवरदान जाति चारण, निवासी बाणाना (राजगढ) तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर 10. सायरकंवर उर्फ लूणीकंवर पुत्री शक्तिदान पत्नी कंवराजदान जाति चारण, निवासी धोलिया तहसील शिव, जिला बाड़मेर हाल निवासी लुणावास तहसील लूणी, जिला जोधपुर 11. शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई शाखा भींयाड़ 12. शाखा प्रबंधक, दी सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक शिव 13. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीनी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 – श्री रामस्वरूप भाटी।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 02.09.2024

वादीनी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी के अविभाजित खेत मौजा धोलिया, तहसील शिव के खसरा नम्बर 321, 161 रकबा क्रमशः 273.17, 178.13 के आये हुए थे। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है, जो हिन्दू विधि से शासित होते है। पक्षकार पूर्व पुरूष स्व0 बागदान के वंशज है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार मौजा धोलिया, तहसील शिव के खसरा नम्बर 321, 585 / 321 रकबा क्रमशः 29.6634, 7.2843 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 161 रकबा 28.9188 हैक्टेयर भूमि पक्षकारान् के वालिद स्व0 बागदान के नाम आई हुई थी, जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम दर्ज है। पूर्व पुरूष बागदान के फौत होने पर विवादित आराजी विरासत में उनके पुत्रों शक्तिदान व हेमदान को प्राप्त हुई। शक्तिदान के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि में केवल उनके पुत्रों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए, जबकि वादीनी व उनकी अन्य बहनों जो मुतवफी शक्तिदान की प्रथम श्रेणी की वारिश है, उनके नाम छोड़ दिये गये। चूंकि वादिनी सहित शक्तिदान के छः विधिक वारिस है तथा वादीनी की शेष बहनों ने दावा पेश नहीं किया है। उक्त विवादित आराजी में वादीनी का 1 / 12 खातेदारी हिस्सा आया हुआ है। अतः वादीनी द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत विवादित आराजी में मुतवफी शक्तिदान की प्रथम वर्ग की वारिस होने तथा उक्त पुश्तैनी खातेदारी में अपने पिता के हिस्से में से बनने वाले अपने हिस्सा की खातेदारी घोषणा करवाने तथा उक्त हिस्से में अपने कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं किये जाने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तामिली करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब बंद किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित। वादीनी द्वारा साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली में उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वादीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम धोलिया के खसरा नम्बर 321, 585/321 रकबा क्रमशः 29.6634, 7.2843 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 161 रकबा 28.9188 हैक्टेयर भूमि में निहित शक्तिदान के खातेदारी हिस्सा में से वादीनी उनकी प्रथम श्रेणी की विधिक वारिश होने से अपने पिता की खातेदारी में से 1/6 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारीणी है। वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण के हक में कोई हकतर्कनामा निष्पादित नहीं किया गया है। चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जाईन्दा पुत्री की हैसियत से वादीनी शक्तिदान की वैध वारिस होने से उनके हक हिस्सा की भूमि में से अपने खातेदारी हिस्सा की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वादीनी पैतृक वादग्रस्त आराजी में अपनी खातेदारी घोषणा करवाने की विधिक अधिकारीणी होने से उसे मुतवफी शक्तिदान के खातेदारी हिस्सा में से 1/6 हिस्सा की सहखातेदार घोषित की जावें।

इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है तथा मौके पर काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी के वर्तमान रेकर्ड का अंकन सिलिंग प्रकरण के बाद कायम होने से वादग्रस्त भूमि पैतृक नहीं है। वादीनी को उक्त वादग्रस्त आराजी का अनुतोष एवं प्रतिफल उसके विवाह के समय दहेज एवं नकद राशि के रूप में दिया जा चुका है। अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद मनगढंत झूठे एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने तथा वादीनी विवादित आराजी में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की हकदार नहीं होने एवं प्रतिवादीगण को नाहक परेशान करने की नियत से वाद पेश करने पर उक्त वाद मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया चूंकि उक्त वाद में वादीनी द्वारा मौजा धोलिया, तहसील शिव के खसरा नम्बर 321, 585/321 रकबा क्रमशः 29.6634, 7.2843 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 161 रकबा 28.9188 हैक्टेयर भूमि में पैतृक रूप से स्वयं को 1/12 हिस्सा तथा अपने पिता शक्तिदान के हिस्सा में से 1/6 खातेदारी हिस्सा की सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् वाद पेश किया गया है। चूंकि वादपत्र के पद संख्या 2 में वंशवृक्ष अनुसार मुतवफी शक्तिदान के छः जाईंदा संताने है, जिसमें वादीनी भी शामिल है एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी वादीनी को शक्तिदान की जांइदा पुत्री होना स्वीकार किया गया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत पैतृक सम्पति में उनके पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री आदि का जन्मतः हक हिस्सा निहित हो जाता है। वादीनी अधिवक्ता द्वारा वाद को स्वीकार किया जाकर वादीनी के पिता शक्तिदान के खातेदारी हिस्सा में से पैतृक रूप से स्वयं को 1/6 हिस्से की सहखातेदार घोषित करवाने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा वादीनी को उनके विवाह के समय वादग्रस्त आराजी का अनुतोष एवं प्रतिफल दहेज व नकद राशि के रूप में दिये जाने का कथन किया गया है, जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे उक्त साबित हो। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि होने तथा वादीनी मुतवफी शक्तिदान की जाईंदा पुत्री होने से उक्त आराज़ी में वादीनी का पैतृक हक हिस्सा निहित होने पर वादीनी को मुतवफी शक्तिदान के खातेदारी हिस्सा में से 1/6 खातेदारी हिस्सा की सहखातेदार घोषित किया जाकर वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा धोलिया, तहसील शिव के खसरा नम्बर 321, 585/321 रकबा क्रमशः 29.6634, 7.2843 हैक्टेयर (कुल रकबा 36.9477 हैक्टेयर) तथा खसरा नम्बर 161 रकबा 28.9188 हैक्टेयर भूमि में मुतवफी शक्तिदान के खातेदारी हिस्सा में से वादीनी का 1/6 खातेदारी हिस्सा घोषित किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 02.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner